आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

पंचायती राज

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण

(राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिशा निर्देश)

(2022-23 से 2025-26)

सशक्त पंचायत सतत् विकास

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पंचायती राज

पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण

(राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिशा निर्देश)

(2022–23 से 2025–26)

सशक्त पंचायत सतत विकास

नोटः राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिशानिर्देशों के हिंदी अनुवाद में किसी भी अस्पष्टता या टंकण त्रुटि की अवस्था में, दिशानिर्देशों का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

प्रस्तावना

24 अप्रैल, 1993 को लागू 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX को शामिल किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 243जी में राज्यों को अनुदेश है कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करें ताकि कि वे ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 29 विषयों सहित सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए स्व संस्थानों के रूप में कार्य कर सकें।

पंचायतों को पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन विकास योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन के लिए एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी परितंत्र बनाने का एक अभिन्न अंग है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) सर्वश्रेष्ठ कार्य–निष्पादन करने वाले पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को स्थानीय स्वशासन में उनके कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहा है।

इस अवधि के दौरान, इन पुरस्कारों के तहत विशिष्ट क्षेत्रों / सेक्टरों और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पंचायतों द्वारा ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया, नई पुरस्कार श्रेणियों / विषयों की शुरूआत आदि के आधार पर विभिन्न पहल / सुधार किए गए हैं। पुरस्कार प्रणाली में सुधार और संशोधन एक सतत नीतिगत हस्तक्षेप/कार्य है। पूर्व में, ज्यादातर प्रक्रिया–आधारित कार्य–निष्पादन पर जोर दिया जाता था। नवीन विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं पुरस्कारों/विषयों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित करने के लिए स्थानांतरण प्राथमिकताओं के ध्यानार्थ परिणाम आधारित मापदंडों के जरिए पुरस्कारों (राष्ट्रीय/राज्य/ यूटी/जिला/ब्लॉक स्तर) की एक बहु–स्तरीय पिरामिड संरचना की स्थापना करते हुए और कार्य–निष्पादन को मापने के गुणात्मक पहलू में भी परिवर्तन करते हुए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में पंचायतों की भूमिका की समग्र रूप से पहचान करने के उद्देश्य को साकार करना है।

भारत ने 17 चिन्हित लक्ष्यों के माध्यम से समावेशी, जन केंद्रित और समग्र सतत विकास प्राप्त करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र 2030 कार्यसूची का हस्ताक्षरकर्ता है। भारत सरकार "संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण" के माध्यम से "किसी को पीछे नहीं छोड़ना" के आदर्श वाक्य के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक दृष्टि, प्राथमिकता और कार्यान्वयन पद्धतियों के साथ काम कर रही है। माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा 7 दिसंबर, 2021 को इस मंत्रालय में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार "पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण" पर रिपोर्ट जारी की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की दिशा में स्थानीय (ग्राम पंचायत) स्तर पर कार्रवाई के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को एकीकृत कर 9 विषयों की पहचान की है। ये 9 विषय हैं: (i) गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, (ii) स्वस्थ गांव, (iii) बाल हितैषी गांव, (iv) पर्याप्त जल वाले गांव, (v) स्वच्छ और हरित गांव, (vi) आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव, (vii) सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, (viii) सुशासन वाले गांव और (ix) महिला हितैषी पंचायत (पूर्व में इसे गांव में इन्जेन्डर विकास कहा जाता था)

जहां भी पंचायत निर्दिष्ट है, वहां पंचायत को पंचायत अथवा बिना पंचायत वाले क्षेत्रों (जैसे जो राज्य खंड IX में नहीं हैं) में मौजूदा समान स्तर के स्थानीय निकायों / परिषदों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार
पंचायती राज
Panchayati Raj
NATIONAL PANCHAYAT AWARD

1. परिचय

1.1 पंचायत स्कीम का प्रोत्साहन संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के केंद्रीय घटकों में से एक है। इस योजना के तहत, विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों / विषयों के तहत उनके कार्य–निष्पादन को पहचान देने के लिए पुरस्कार विजेता पंचायतों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सहित सर्वश्रेष्ठ कार्य–निष्पादन करने वाली पंचायतों को 'राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार' दिए जाते हैं। ये पुरस्कार आम तौर पर 24 अप्रैल को दिया जाता है, इस दिन को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू किया गया।

1.2 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 9 विषयों (पंचायती राज मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित) के तहत ब्लॉक, जिला, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की बहु–स्तरीय पिरामिड प्रतियोगिता होगी। सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के 9 विषय हैं: (i) गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, (ii) स्वस्थ गांव, (iii) बाल हितैषी गांव, (iv) पर्याप्त जल वाले गांव, (v) स्वच्छ और हरित गांव, (vi) आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव, (vii) सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, (viii) सुशासन वाले गांव और (ix) महिला हितैषी गांव। इन विषयों के तहत पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके कार्य–निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

1.3 विषयगत पुरस्कार प्रतियोगिता में सभी पंचायतों (जिला पंचायतों, प्रखंड पंचायतों और ग्राम पंचायतों) को अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। प्रत्येक विषय के तहत मूल्यांकन समितियां संबंधित स्तरों (ब्लॉक, जिला, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय) पर सभी पंचायतों को रैंक प्रदान करेंगी और तदनुसार, प्रत्येक स्तर पर शीर्ष तीन पंचायतों का चयन करेंगी।

1.4 तदनुसार, ब्लॉक पंचायतों (बीपी) और जिला पंचायतों (डीपी) को उनके संबंधित ग्राम पंचायतों के कार्य–निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

2. पुरस्कारों का उद्देश्य

पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक व्यवस्थित योजना, कार्यान्वयन, मोनिटरिंग और जवाबदेही के लिए पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का पुनर्गठन किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से पंचायत योजना को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य है:

i. 9 चिन्हित विषयों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में पंचायती राज संस्थानों के कार्य–निष्पादन का आकलन

ii. पंचायती राज संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना

iii. 'पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण' की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना और वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) प्राप्त करने के महत्व के बारे में पंचायती राज संस्थानों को जागरूक करना

3. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के विषय/श्रेणियाँ

3.1 पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों के तहत उनके कार्य–निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार निम्नानुसार दिए जाएंगे:

क्र. सं.	विषयगत पुरस्कार श्रेणी	पंचायत का स्तर जिसके लिए पुरस्कार लागू है	क्र. सं.	पुरस्कार की विषय–वस्तु
i.	दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार	• ग्राम पंचायत • प्रखंड पंचायत • जिला पंचायत	i.	गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव
			ii.	स्वस्थ गांव
			iii.	बाल हितैषी गांव
			iv.	पर्याप्त पानी वाले पंचायत
			v.	स्वच्छ और हरित गांव
			vi.	आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव
			vii.	सामाजिक रूप से संरक्षित गांव
			viii.	सुशासन वाले गांव और
			ix.	महिला हितैषी पंचायत (पूर्व में इसे पुरस्कार की विषय वस्तु)
ii.	नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार	ग्राम पंचायत	संयुक्त सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल/औसत स्कोर वाले शीर्ष 3 ग्राम पंचायत के लिए।	
		प्रखंड पंचायत	देश भर में शीर्ष तीन ब्लॉक पंचायतों के लिए सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल स्कोर के साथ।	
		जिला पंचायत	देश भर में शीर्ष तीन जिला पंचायतों के लिए सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल स्कोर के साथ।	

3.2 पुरस्कारों की विशेष श्रेणी

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के तहत निम्नलिखित विशेष श्रेणियों के पुरस्कार दिए जाएंगे:

i. **ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार:** यह पुरस्कार 3 ग्राम पंचायतों को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और उपयोग के संबंध में उनके कार्य–निष्पादन के लिए दिया जाएगा। यह पुरस्कार संबंधित मंत्रालय/विभाग/उद्योग द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है।

ii. **कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार:** यह पुरस्कार 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा जिन्होंने शुद्ध–शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य किया है। ग्राम ऊर्जा स्वराज पुरस्कार की तरह यह पुरस्कार भी संबंधित मंत्रालय/विभाग/उद्योग द्वारा प्रायोजित किया जाएगा।

iii. **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार:** कोई ग्राम पंचायत जो बाद के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त करता है और लघु सूचिबद्ध किया जाता है, उसे भी व्यक्तिगत विषयगत पुरस्कार के बदले यह पुरस्कार दिया जाएगा।

iv. **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार:** यह पुरस्कार देश भर के 3 संस्थानों को दिया जाएगा जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण प्राप्त करने में ग्राम पंचायतों को संस्थागत सहायता प्रदान की है।

v. **सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी (राज्य/जिला पंचायत):** ग्राम पंचायतों की भागीदारी के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उनके कार्य–निष्पादन के लिए मान्यता दी जाएगी और इसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। साथ ही, जिला पंचायतें, जहां >=90% ग्राम पंचायतें इस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं, उनके कार्य–निष्पादन के लिए मान्यता दी जाएगी और इसके लिए उन्हें प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा।

3.3. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्राम पंचायत प्रमुख/प्रतिनिधियों या किसी अन्य व्यक्ति के नामांकन को अतिरिक्त रूप से अग्रेषित कर सकते हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम के प्रति अनुकरणीय कार्य–निष्पादन और समर्पण दिखाया है। इन्हें आगे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पद्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा सकता है।

3.4. पंचायती राज मंत्रालय, यदि उपयुक्त समझे तो किसी भी समय संस्थापित कर सकता है और तदनुसार कोई अन्य विशेष पुरस्कार प्रदान कर सकता है।

4. दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसवीपी) की संरचना

संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार एलएसडीजी आधारित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्लॉक, जिला, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों के लिए एक बहु–स्तरीय पिरामिड संरचना तैयार करते हैं। ग्राम पंचायतों को 9 चिन्हित एलएसडीजी विषयों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके कार्य–निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रखंड पंचायतों और जिला पंचायतों को उनके संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के आधार पर और ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना के तहत किए गए व्यय के माध्यम से एलएसडीजी प्राप्त करने में उनके द्वारा दिए गए समर्थन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा।

5 डीडीयूपीएसवीपी: ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार (ग्राम पंचायतों के लिए)

5.1 ब्लॉक पंचायत कार्य–निष्पादन मूल्यांकन समिति (बीपीपीएसी) का गठन

5.1.1 9 विषयों में से प्रत्येक के लिए ब्लॉक स्तर पर एक बीपीपीएसी स्थापित किया जाएगा जो उस ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी)/समान स्तर के स्थानीय निकायों का आकलन, जांच और रैंक प्रदान करेगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बीपीपीएसी के गठन की देखरेख करेंगे।

5.1.2 बीपीपीएसी रचना की संरचना इस प्रकार होगी:

क्र. सं.	विषय / विषयगत समिति	संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए नोडल विभाग	संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए संबंधित विभाग	अध्यक्ष	सदस्य*
i.	गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले पंचायत	ग्रामीण विकास विभाग	i. पंचायती राज विभाग ii. कृषि और किसान कल्याण विभाग	प्रखंड विकास अधिकारी	• एनआरएलएम के संबंधित प्रखंड स्तरीय अधिकारी • मनरेगा के संबंधित अधिकारी • पंचायत स्तरीय इक्स्टेन्शन अधिकारी/समकक्ष अधिकारी सदस्य संयोजक
ii.	स्वस्थ पंचायत	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	i. आयुष/आयुर्वेद विभाग ii. पंचायती राज विभाग iii. महिला एवं बाल विकास विभाग	प्रखंड विकास अधिकारी	• प्रखंड चिकित्सा अधिकारी • बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी (सीडीपीओ) • पंचायत इक्स्टेन्शन अधिकारी / सदस्य के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी

क्र. सं.	विषय / विषयगत समिति	संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए नोडल विभाग	संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए संबंधित विभाग	अध्यक्ष	सदस्य*
iii.	बाल हितैषी पंचायत	महिला एवं बाल विकास विभाग	i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ii. स्कूल शिक्षा विभाग iii. ग्रामीण विकास विभाग iv. पंचायती राज विभाग	प्रखंड विकास अधिकारी	• सीडीपीओ • सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले पंचायत इक्स्टेन्शन अधिकारी/ अधिकारी
iv.	पर्याप्त जल वाले पंचायत	जन स्वास्थ्य विभाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. पंचायती राज विभाग	प्रखंड विकास अधिकारी	• प्रखंड स्तरीय अधिकारी/कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता • सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले पंचायत इक्स्टेन्शन अधिकारी/ अधिकारी
v.	स्वच्छ और हरित पंचायत	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. पंचायती राज विभाग iii. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग	प्रखंड विकास अधिकारी	• एसबीएम–जी से संबंधित प्रखंड अधिकारी • सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले पंचायत इक्स्टेन्शन अधिकारी/ अधिकारी
vi.	आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले पंचायत	पंचायती राज वि. भाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी/एनआईसी विभाग iii. दूरसंचार विभाग	प्रखंड विकास अधिकारी	• एनआईसी से मनोनीत अधिकारी • सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले पंचायत इक्स्टेन्शन अधिकारी/ अधिकारी
vii.	सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. पंचायती राज विभाग	प्रखंड विकास अधिकारी	• प्रखंड स्तरीय समाज कल्याण अधिकारी • सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले पंचायत इक्स्टेन्शन अधिकारी/ अधिकारी
viii.	सुशासन वाली पंचायत	पंचायती राज वि. भाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी / एनआईसी वि. भाग	प्रखंड विकास अधिकारी	• एनआईसी से मनोनीत सदस्य • बीबीएनएल से प्रखंड स्तरीय अधिकारी • पंचायत स्तरीय इक्स्टेन्शन अधिकारी/ सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी
ix.	महिला हितैषी पंचायत (पूर्व में इसे गांव में लैंगिक समानता का विकास कहा जाता था)	महिला एवं बाल विकास विभाग	i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ii. ग्रामीण विकास विभाग iii. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग iv. पंचायती राज विभाग	प्रखंड विकास अधिकारी	• सीडीपीओ • प्रखंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/ समकक्ष • प्रखंड चिकित्सा अधिकारी • पंचायत स्तरीय इक्स्टेन्शन अधिकारी/ सदस्य संयोजक के रूप में प्रखंड में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी

* *या समकक्ष अधिकारी*

5.2 ग्राम पंचायतों के लिए प्रखंड स्तरीय पुरस्कारों के तहत चयन मापदंडः

5.2.1 9 विषयों में से प्रत्येक के लिए बीपीपीएसी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संबंधित ग्राम पंचायतें सभी विषयों के संबंध में ऑनलाइन प्रश्नावली भरें। इसके लिए समितियों/ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत/प्रखंड स्तर पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों का सहयोग लिया जा सकता है। ये ऑनलाइन प्रश्नावली राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल/डैशबोर्ड पर उपलब्ध होंगी।

5.2.2 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पूर्व–निर्धारित अंकन योजना के अनुसार संबंधित प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक स्वतः सृजित होंगें।

5.2.3 प्रत्येक विषय के तहत प्रश्नावली के लिए प्राप्तांकों के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों की रैंकिंग स्वतः ही हो जाएगी।

5.2.4 क्षेत्र सत्यापनः बीपीपीएसी प्रत्येक विषय के लिए शीर्ष 3 रैंक वाले ग्राम पंचायतों के क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से संबंधित प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न के संबंध में भरी गई जानकारी / डेटा / उत्तर की जांच करेगा। प्रत्येक विषयगत प्रश्नावली के लिए सूचना का सत्यापन सहायक दस्तावेजों के माध्यम से प्रत्येक प्रश्नावली के सामने दी गई सूची के अनुसार किया जाएगा।

5.2.5 बीपीपीएसी प्रत्येक विषय के तहत शीर्ष 3 रैंक वाले ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित प्रारूप में सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट को सत्यापन के लिए बैठक में ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। सत्यापित की गई क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट पर क्षेत्र निरीक्षण टीम द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और सरपंच/पंचायत सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। क्षेत्र सत्यापन के लिए निर्धारित प्रारूप इस प्रकार है:

पुरस्कार का नाम:					
ग्राम पंचायत का नाम:					
ब्लॉक:					
ज़िला:					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:					
क्षेत्र निरीक्षण की तिथि:					
क्षेत्र निरीक्षण टीम के सदस्यों की संख्या:					
प्रश्न	उत्तर	प्राप्तांक	सहायक दस्तावेज़ की. उपलब्धता (हां/नहीं)	क्या क्षेत्र निरीक्षण टीम प्राप्तांकों और सहायक दस्तावेज से संतुष्ट है? (हां/नहीं)	टिप्पणी (यदि को कोई हो)
(i)					
(ii).....					
क्षेत्र निरीक्षण टीम की अंतिम टिप्पणी:					
फील्ड विजिट टीम के सदस्यों के नाम: i. (नाम) (पदनाम), हस्ताक्षर ii. (सरपंच/पंचायत सचिव का हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर एवं मुहर)					

5.2.6 **समान अंकों वाले मामलों का समाधानः** बराबर अंकों के किसी भी मामले को बीपीपीएसी द्वारा अपने स्तर पर सुलझाया जाएगा। संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए संबंधित समितियां निम्नलिखित प्रक्रिया का अपनाएंगीः

i. यदि प्रथम रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच बराबरी है, तो क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से दोनों की जांच की जाएगी और तदनुसार, इन्हें पहली और दूसरी रैंक दिया जाएगा।

ii. यदि दूसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायत के बीच टाई है, तो दोनों की फील्ड विजिट के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, इन्हें दूसरा और तीसरा स्थान दिया जाएगा।

iii. यदि तीसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच बराबरी है, तो क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से दोनों की जांच की जाएगी और तदनुसार, तीसरी रैंक के लिए ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा।

iv. यदि क्षेत्र निरीक्षण के बाद भी तीसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच बराबरी है, तो दोनों पंचायतों को ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में तीसरा स्थान माना जाएगा। ये दोनों ग्राम पंचायतें जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त होंगी और नामांकित भी की जाएंगी।

v. यदि समान अंकों के साथ 3 या अधिक शीर्ष रैंक वाले ग्राम पंचायतें हैं, तो उन सभी की क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, रैंक 1, 2 और 3 के लिए ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा।

5.2.7 प्रत्येक विषय के लिए बीपीपीएसी प्रत्येक विषय के तहत शीर्ष 3 रैंक वाले ग्राम पंचायतों को अंतिम रूप से चयन करेगा जो ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार विजेता होंगे। इन ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों को जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में बीपीपीएसी द्वारा नामित किया जाएगा।

जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए शीर्ष 3 रैंक वाले ग्राम पंचायतों की अनुशंसा के लिए ब्लॉक पंचायत कार्य–निष्पादन मूल्यांकन समिति (बीपीपीएसी) प्रारूप

(पुरस्कारः दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार)

***

घोषणा

एतद्द्वारा प्रखंड पंचायत कार्य–निष्पादन मूल्यांकन समिति (बीपीपीएसी) द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि विषय (विषय/विषयक पुरस्कार का नाम) के तहत निम्नलिखित तीन शीर्ष रैंक वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) को उचित परिश्रम/सत्यापन के बाद सर्वसम्मति से ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना जाता है और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए नामांकित किया जाता है :

रैंक	ग्राम पंचायत का नाम (पदानुक्रम में)	प्राप्तांक	विषय के तहत प्रमुख उपलब्धि
1			
2			
3			

2. घोषणा के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैंः

i. प्रत्येक विषय के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा भरी गई प्रश्नावली

ii. सहायक दस्तावेजों के साथ प्रत्येक विषय के तहत ग्राम पंचायत की क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट

(बीपीपीएसी सदस्यों का नाम और हस्ताक्षर)

दिनांकः

5.3 उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जहां ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर मौजूद नहीं है, वहां उच्च/अगले स्तर के पुरस्कार के लिए नामित करने के लिए जिला या राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर पंचायत कार्य–निष्पादन मूल्यांकन समिति इन दिशानिर्देशों में निहित मानदंडों के भीतर, ग्राम पंचायतों के समग्र रूप से चयन की भूमिका निभाती है।

6 डीडीयूपीएसवीपीः जिला स्तरीय पुरस्कार (ग्राम पंचायतों के लिए)

6.1 जिला पंचायत कार्य–निष्पादन मूल्यांकन समिति (डीपीपीएसी) का गठन

6.1.1 प्रत्येक 9 विषयों के लिए जिला स्तर पर एक डीपीपीएसी की स्थापना की जाएगी जो आकलन, जांच और रैंक प्रदान करेगा और प्रत्येक विषय के तहत संबंधित जिले के बीपीपीएसी द्वारा सभी शीर्ष 3 रैंक वाले ग्राम पंचायत/ समान स्तर के स्थानीय निकाय नामित किए जाएंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र डीपीपीएसी के गठन की देखरेख करेंगे।

6.1.2 डीपीपीएसीरचना की संरचना इस प्रकार होगीः

क्र.सं.	विषय/ विषयगत समिति	संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए नोडल विभाग	संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए लाइन विभाग	अध्यक्ष	सदस्य*
i.	गरीबी मुक्त और संबर्धित/ बढ़ी हुई आजीविका वाली पंचायत	ग्रामीण विकास विभाग	i. पंचायती राज विभाग ii. कृषि और किसान कल्याण विभाग	जिला कलेक्टर/ सीईओ जिला परिषद	• एनआरएलएम संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी • मनरेगा संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी • सदस्य संयोजक के रूप में जिला पंचायत अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी
ii.	स्वस्थ पंचायत	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	i. आयुष/आयुर्वेद विभाग ii. पंचायती राज विभाग iii. महिला एवं बाल विकास विभाग	जिला कलेक्टर/ सीईओ जिला परिषद	• मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य अधिकारी/ • महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला स्तरीय अधिकारी • आयुष/आयुर्वेद विभाग से अधिकारी • संकाय (स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संस्थान) • सदस्य संयोजक के रूप में जिला पंचायत अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी
iii.	बाल हितैषी पंचायत	महिला एवं बाल विकास विभाग	i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ii. स्कूली शिक्षा विभाग iii. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	जिला कलेक्टर/ सीईओ जिला परिषद	• उप निदेशक/जिला स्तरीय अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा विभाग) • प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी • सदस्य संयोजक के रूप में जिला पंचायत अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी
iv.	जल पर्याप्त पंचायत	सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. पंचायती राजविभाग	जिला कलेक्टर/ सीईओ जिला परिषद	• ग्रामीण विकास विभाग से मनोनीत जिला स्तरीय अधिकारी • सदस्य संयोजक के रूप में जिला पंचायत अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी
v.	स्वच्छ और हरित पंचायत	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	i. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ii. ग्रामीण विकास विभाग iii. पंचायती राजविभाग	जिला कलेक्टर/ सीईओ जिला परिषद	• अक्षय ऊर्जा से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी • जिला स्तरीय अधिकारी एसबीएम–जी • सदस्य संयोजक के रूप में जिला पंचायत अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी

क्र.सं.	विषय/ विषयगत समिति	संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए नोडल विभाग	संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए लाइन विभाग	अध्यक्ष	सदस्य*
vi.	पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा	पंचायती राज विभाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी/एनआईसी विभाग iii. दूरसंचार विभाग	जिला कलेक्टर/ सीईओ जिला परिषद	• एनआईसी से जिला स्तरीय अधिकारी • भारतनेट से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी • सदस्य संयोजक के रूप में जिला पंचायत अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी
vii.	सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	i. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ii. ग्रामीण विकास विभाग iii. पंचायती राजविभाग iv. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन)	जिला कलेक्टर/ सीईओ जिला परिषद	• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) से सम्बंधित ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जिला स्तरीय अधिकारी • सदस्य संयोजक के रूप में जिला पंचायत अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी
viii.	सुशासन वाली पंचायत	पंचायती राजविभाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी/एनआईसी विभाग	जिला कलेक्टर/ सीईओ जिला परिषद	• ई–ग्राम स्वराज से सम्बंधित पंचायती राज के जिला स्तरीय अधिकारी • एनआईसी के जिला स्तरीय अधिकारी • सदस्य संयोजक के रूप में जिला पंचायत अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी
ix.	महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में लैंगिक समानता का विकास कहा जाता था)	महिला एवं बाल विकास विभाग	i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ii. ग्रामीण विकास विभाग iii. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग iv. आयुष/आयुर्वेद विभाग v. पंचायती राजविभाग	जिला कलेक्टर/ सीईओ जिला परिषद	• मुख्य चिकित्सा अधिकारी • ग्रामीण विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी • आयुष/आयुर्वेद विभाग से जिला स्तरीय अधिकारी • प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जिला स्तरीय अधिकारी • सदस्य संयोजक के रूप में जिला पंचायत अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी

**या समकक्ष अधिकारी*

6.2 जिला स्तरीय पुरस्कारों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए चयन मानदंडः

6.2.1 9 विषयों में से प्रत्येक के लिए डीपीपीएसी प्रत्येक विषय के तहत संबंधित जिले के बीपीपीएसी द्वारा नामित शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायत /समान स्तर के स्थानीय निकायों का आकलन, जांच और चयन करेगा।

6.2.2 **क्षेत्र सत्यापनः** प्रत्येक विषय के लिए डीपीपीएसी प्रत्येक विषय के तहत बीपीपीएसी द्वारा नामित शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायतों को क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से सत्यापित करेगा। प्रत्येक विषयगत प्रश्नावली के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए सूचना का सत्यापन सहायक दस्तावेजों के माध्यम से प्रत्येक प्रश्नावली के सामने दी गई सूची के अनुसार किया जाएगा।

6.2.3 प्रत्येक विषय के लिए डीपीपीएसी प्रत्येक विषय के तहत शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित प्रारूप में सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेगा। मान्य फील्ड विजिट रिपोर्ट पर फील्ड विजिट टीम द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और सरपंच/पंचायत सचिव द्वारा प्रति–हस्ताक्षर (काउंटर हस्ताक्षर) किए जाएंगे। क्षेत्र सत्यापन के लिए निर्धारित प्रारूप इस प्रकार हैः

पुरस्कार का नाम:					
ग्राम पंचायत का नाम:					
ब्लाक:					
ज़िला:					
राज्य: संघ/राज्य क्षेत्र					
फील्ड विजिट की तिथि:					
फील्ड विजिट टीम के सदस्यों की संख्या:					
प्रश्न	उत्तर	प्राप्तांक	सहायक दस्तावेज़ की उपलब्धता (हां/नहीं)	क्या फील्ड विजिट टीम प्राप्त अंकों और सहायक दस्तावेज से संतुष्ट है? (हां/नहीं)	यदि कोई टिप्पणी हो)
(i)					
(ii).....					
फील्ड विजिट टीम की अंतिम टिप्पणी:					
फील्ड विजिट टीम के सदस्यों के नाम: i. (नाम) (पदनाम), हस्ताक्षर ii. (सरपंच/पंचायत सचिव द्वारा प्रति–हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर एवं मुहर)					

6.2.4 समान अंकों वाले मामलों का समाधान: बद्ध हुआ अंक के किसी भी मामले को डीपीपीएसी द्वारा अपने स्तर पर सुलझाया जाएगा। संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए संबंधित समितियां निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेंगी:

i. यदि प्रथम रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायत के बीच टाई है, तो दोनों की फील्ड विजिट के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, इन्हें पहली और दूसरी रैंक दी जाएगी।

ii. यदि दूसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायत के बीच टाई है, तो दोनों की फील्ड विजिट के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, इन्हें दूसरा और तीसरा स्थान दिया जाएगा।

iii. यदि तीसरे रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच टाई है, तो दोनों की जांच फील्ड विजिट के माध्यम से की जाएगी और तदनुसार, तीसरी रैंक के लिए ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा।

iv. यदि क्षेत्र भ्रमण के बाद भी तीसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच बराबरी है, तो दोनों पंचायतों को जिला स्तरीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को तीसरा स्थान माना जाएगा। ये दोनों ग्राम पंचायतें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त कर उन्हें नामांकित भी करेंगी।

v. यदि समान अंक वाले 3 या अधिक शीर्ष रैंकिंग वाले ग्राम पंचायत हैं, तो उन सभी की फील्ड विजिट के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, रैंक 1, 2 और 3 के लिए ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा।

6.2.5 प्रत्येक विषय के लिए डीपीपीएसी को अंतिम रूप दिया जाएगा और प्रत्येक विषय के तहत शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा जो जिला स्तर के पुरस्कार विजेता होंगे। इन जिला स्तरीय पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में डीपीपीएसी द्वारा नामित किया जाएगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कारों के लिए शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायतों की सिफारिश के लिए जिला पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति (डीपीपीएसी) के लिए प्रारूप

(पुरस्कारः दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार)

***

घोषणा

जिला पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति (डीपीपीएसी) द्वारा एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि विषय (विषय/विषयक पुरस्कार का नाम) के तहत निम्नलिखित तीन शीर्ष क्रम वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) को जिल स्तर के पुरस्कार के लिए उचित परिश्रम /सत्यापन के बाद सर्वसम्मति से चुना जाता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कारों के लिए नामांकित किए जा रहे हैं:

पद/रैंक	ग्राम पंचायत का नाम (पदानुक्रम के साथ)	प्राप्तांक	विषय के तहत प्रमुख उपलब्धि
1			
2			
3			

2. घोषणा के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

i. प्रत्येक विषय के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा भरी गई प्रश्नावली

ii. सहायक दस्तावेजों के साथ प्रत्येक विषय के तहत ग्राम पंचायत की फील्ड सत्यापन रिपोर्ट

(डीपीपीएसी सदस्यों का नाम और हस्ताक्षर)

दिनांकः

6.3 उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जहां जिला स्तर पर पंचायत स्तर मौजूद नहीं है, वहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति इन दिशानिर्देशों में निहित मानदंडों के भीतर, ग्राम पंचायतों के समग्र चयन के लिए उन्हें उच्चतर के लिए नामित करने के लिए भूमिका का प्रशासन करेगी। /अगले स्तर के पुरस्कार।

7 डीडीयूपीएसवीपीः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (ग्राम पंचायतों के लिए)

7.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति (एसपीपीएसी/यूपीपीएसी) का गठन

7.1.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 9 विषयों में से प्रत्येक के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कारों के लिए एक एसपीपीएसी/यूपीपीएसी का गठन करेगा। ये समितियां प्रत्येक विषय के तहत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के डीपीपीएसी द्वारा नामित सभी शीर्ष 3 रैंकिंग जीपी/समान स्तर के स्थानीय निकायों का आकलन, जांच और रैंक जारी करेंगी।

7.1.2 एसपीपीएसी / यूपीपीएसी की संरचना संरचना इस प्रकार होगीः

क्र.सं.	थीम/ विषयगत समिति	नोडल संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए विभाग	संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए लाइन विभाग	अध्यक्ष	सदस्य*
i.	गरीबी मुक्त और बढ़ी/संबर्धित आजीविका पंचायत	ग्रामीण विकास विभाग	i. पंचायती राजविभाग ii. कृषि और किसान कल्याण विभाग	प्रमुख सचिव/ सचिव (पंचायती राज विभाग)	• एनआरएलएम को देखने वाले राज्य स्तरीय अधिकारी • मनरेगा को देखने वाले राज्य स्तरीय अधिकारी • कृषि विभाग से राज्य स्तरीय अधिकारी • एसआईआरडी / प्रशिक्षण संस्थान / राज्य पंचायती राज संसाधन केंद्र (एसपीआरसी) के संकाय • विषय से संबंधित डोमेन विशेषज्ञ/संस्था/गैर–सरकारी संगठन प्रत्येक संबंधित विषय के लिए नोडल विभागों के प्रमुख/अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य होंगे। • संयुक्त/उप निदेशक (पंचायती राज) सदस्य संयोजक के रूप में
ii.	स्वस्थ पंचायत	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	i. आयुष/आयुर्वेद विभाग ii. पंचायती राज विभाग iii. महिला एवं बाल विकास विभाग	मुख्य सचिव/सचिव (पंचायती राज विभाग)	• महिला एवं बाल विकास विभाग से राज्य स्तरीय अधिकारी • आयुष/आयुर्वेद से राज्य स्तरीय अधिकारी • संकाय (स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संस्थान) • संयुक्त/उप निदेशक (पंचायती राज) सदस्य संयोजक के रूप में
iii.	बाल हितैषी पंचायत	महिला एवं बाल विकास विभाग	i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ii. स्कूल शिक्षा विभाग iii. पंचायती राज विभाग	मुख्य सचिव/सचिव (पंचायती राज विभाग)	• प्रारंभिक शिक्षा विभाग से राज्य स्तरीय अधिकारी • महिला एवं बाल विकास विभाग से राज्य स्तरीय अधिकारी • प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (स्वास्थय विभाग) से संबंधित अधिकारी • संयुक्त/उप निदेशक (पंचायती राज) सदस्य संयोजक के रूप में
iv.	जल पर्याप्त पंचायत	सार्वजनिक स्वास्थ्य/ पेय जल विभाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. पंचायती राज विभाग	मुख्य सचिव/सचिव (पंचायती राज विभाग)	• जन स्वास्थ्य/ पेयजल विभाग से नामित राज्य स्तरीय अधिकारी • ग्रामीण विकास विभाग से मनोनीत राज्य स्तरीय अधिकारी • संयुक्त/उप निदेशक (पंचायती राज) सदस्य संयोजक के रूप में
v.	स्वच्छ और हरित पंचायत	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	i. पावर/बिजली/ऊर्जा/ समतुल्य विभाग ii. ग्रामीण विकास विभाग iii. पंचायती राज विभाग विभाग	मुख्य सचिव/सचिव (पंचायती राज विभाग)	• राज्य स्तरीय अधिकारी (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग) • राज्य स्तरीय अधिकारी (पावर) • अक्षय ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय अधिकारी • ग्रामीण विकास विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारी एसबीएम–जी • संयुक्त/उप निदेशक (पंचायती राज) सदस्य संयोजक के रूप में
vi.	पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा	पंचायती राज विभाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी/एनआईसी विभाग iii. दूरसंचार विभाग	मुख्य सचिव/सचिव (पंचायती राज विभाग)	• एनआईसी के राज्य स्तरीय अधिकारी • भारतनेट से सम्बंधित राज्य स्तरीय अधिकारी • संयुक्त/उप निदेशक (पंचायती राज) सदस्य संयोजक के रूप में
vii.	सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. पंचायती राज विभाग	मुख्य सचिव/सचिव (पंचायती राज विभाग)	• राज्य स्तरीय अधिकारी (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएससपी) से सम्बंधित ग्रामीण विकास विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारी • संयुक्त/उप निदेशक (पंचायती राज) सदस्य संयोजक के रूप में
viii.	सुशासन वाली पंचायत	पंचायती राज विभाग	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी/एनआईसी विभाग	मुख्य सचिव/सचिव (पंचायती राज विभाग)	• ईग्राम स्वराज से सम्बंधित पंचायती राज विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारी • एनआईसी के राज्य स्तरीय अधिकारी • संयुक्त/उप निदेशक (पंचायती राज) सदस्य संयोजक के रूप में
ix.	महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में लैंगिक समानता वाला विकास कहा जाता था)	महिला एवं बाल विकास विभाग	i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ii. ग्रामीण विकास विभाग iii. आयुष विभाग iv. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग v. पंचायती राज विभाग	प्रमुख सचिव/ सचिव (पंचायती राज विभाग)	• महिला एवं बाल विकास विभाग से राज्य स्तरीय अधिकारी • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारी • ग्रामीण विकास विभाग से राज्य स्तरीय अधिकारी • आयुष/आयुर्वेद से राज्य स्तरीय अधिकारी • प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारी • संयुक्त/उप निदेशक (पंचायती राज) सदस्य संयोजक के रूप में

**या समकक्ष अधिकारी*

7.2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कारों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए चयन मानदंडः

7.2.1 9 विषयों में से प्रत्येक के लिए एसपीपीएसी/यूपीपीएसी प्रत्येक विषय के तहत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के डीपीपीएसी द्वारा नामित शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायत /समान स्तर के स्थानीय निकायों का आकलन, जांच और चयन करेगा।

7.2.2 **क्षेत्र सत्यापन :** प्रत्येक विषय के लिए एसपीपीएसी/यूपीपीएसी क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से प्रत्येक विषय के तहत एसपीपीएसी/यूपीपीएसी द्वारा नामित शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायतों का सत्यापन करेगा। प्रत्येक विषयगत प्रश्नावली के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए सूचना का सत्यापन सहायक दस्तावेजों के माध्यम से प्रत्येक प्रश्नावली के सामने दी गई सूची के अनुसार किया जाएगा।

7.2.3 प्रत्येक विषय के लिए एसपीपीएसी / यूपीपीएसी प्रत्येक विषय के तहत शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित प्रारूप में सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेगा। मान्य फील्ड विजिट रिपोर्ट पर फील्ड विजिट टीम द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और सरपंच/पंचायत सचिव द्वारा काउंटर हस्ताक्षर किए जाएंगे। क्षेत्र सत्यापन के लिए निर्धारित प्रारूप इस प्रकार है:

पुरस्कार का नाम:					
ग्राम पंचायत का नाम:					
ब्लाक:					
ज़िला:					
राज्यः संघ/राज्य क्षेत्र					
फील्ड विजिट की तिथि:					
फील्ड विजिट टीम के सदस्यों की संख्या:					
प्रश्न	उत्तर	प्राप्तांक	सहायक दस्तावेज़ की उपलब्धता (हां/नहीं)	क्या फील्ड विजिट टीम प्राप्त अंकों और सहायक दस्तावेज से संतुष्ट है? (हां/नहीं)	यदि कोई टिप्पणी हो)
(i)					
(ii).....					
फील्ड विजिट टीम की अंतिम टिप्पणी:					
फील्ड विजिट टीम के सदस्यों के नाम: i. (नाम) (पदनाम), हस्ताक्षर ii. (सरपंच/पंचायत सचिव द्वारा प्रति–हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर एवं मुहर)					

7.2.4 समान अंकों वाले मामलों का समाधानः बद्ध हुए अंकों के किसी भी मामले को एसपीपीएसी/यूपीपीएसी द्वारा अपने स्तर पर सुलझाया जाएगा। संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए संबंधित समितियां निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेंगी:

i. यदि प्रथम रैंक के लिए 2 जीपी के बीच टाई है, तो दोनों की फील्ड विजिट के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, इन्हें पहली और दूसरी रैंक दी जाएगी।

ii. यदि दूसरी रैंक के लिए 2 जीपी के बीच टाई है, तो दोनों की फील्ड विजिट के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, इन्हें दूसरा और तीसरा स्थान दिया जाएगा।

iii. यदि तीसरे रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच टाई है, तो दोनों की जांच फील्ड विजिट के माध्यम से की जाएगी और तदनुसार, तीसरी रैंक के लिए जीपी का चयन किया जाएगा।

iv. यदि फील्ड विजिट के बाद भी तीसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच बराबरी है, तो दोनों पंचायतों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कार विजेताओं के रूप में तीसरा स्थान दिया जाएगा। ये दोनों ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त कर उन्हें नामांकित भी करेंगी।

v. यदि समान अंक वाले 3 या अधिक शीर्ष रैंकिंग वाले जीपी हैं, तो उन सभी की फील्ड विजिट के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, रैंक 1, 2 और 3 के लिए जीपी का चयन किया जाएगा।

7.2.5 प्रत्येक विषय के लिए एसपीपीएसी / यूपीपीएसी प्रत्येक विषय के तहत शीर्ष 3 रैंकिंग जीपी को अंतिम रूप देगा और चयन करेगा जो राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कार विजेता होंगे। इन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कार विजेताओं को एसपीपीएसी/यूपीपीएसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में नामित किया जाएगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कारों के लिए शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायतों की सिफारिश के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति (एसपीपीएसी/यूपीपीएसी) के लिए प्रारूप

(पुरस्कारः दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार)

***

<u>घोषणा</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति (एसपीपीएसी/यूपीपीएसी) द्वारा एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि विषय (विषय/विषयक पुरस्कार का नाम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित तीन शीर्ष क्रम वाली ग्राम पंचायतों का चयन सर्वसम्मति से उचित परिश्रम/ सत्यापन के बाद किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए नामांकित किए जाते हैं:

पद/रैंक	ग्राम पंचायत का नाम (पदानुक्रम के साथ)	प्राप्तांक	विषय के तहत प्रमुख उपलब्धि
1			
2			
3			

2. घोषणा के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

i. प्रत्येक विषय के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा भरी गई प्रश्नावली

ii. सहायक दस्तावेजों के साथ प्रत्येक विषय के तहत ग्राम पंचायत की फील्ड सत्यापन रिपोर्ट

(एसपीपीएसी/यूपीपीपीएसी सदस्यों का नाम और हस्ताक्षर)

दिनांकः

7.2.6 प्रत्येक विषय के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर 3 शीर्ष रैंकिंग वाले ग्राम पंचायतों का एक लघु वीडियो, जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए नामांकन के लिए पात्र हैं, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किया जाएगा। इन फिल्मों को सहायक दस्तावेजों के साथ संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल/डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाएगा। इन्हें राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों को अंतिम रूप देने और देश भर में सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रचार के लिए उचित रूप से संदर्भित किया जा सकता है।

8 डीडीयूपीएसवीपी: राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार (ग्राम पंचायतों के लिए)

8.1 राष्ट्रीय पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति (एनपीपीएसी) का गठन

8.1.1 राष्ट्रीय स्तर पर, संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों के नेतृत्व में 9 विषयों में से प्रत्येक के लिए एनपीपीएसी संबंधित विषयगत राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए ग्राम पंचायतों का चयन करेगी।

8.1.2 एनपीपीएसी की संरचना संरचना इस प्रकार होगी:

क्र.सं.	थीम/विषयगत समिति	केंद्र सरकार नोडल मंत्रालय/ संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए विभाग	केंद्र सरकार संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए संबंधित मंत्रालय/ विभाग	अध्यक्ष	सदस्य
i.	गरीबी मुक्त और बढ़ी/संबर्धित आजीविका वाली पंचायत	ग्रामीण विकास विभाग	i. पंचायती राज मंत्रालय ii. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी	• विषय से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से नामित अधिकारी। • सदस्य संयोजक के रूप में एमओपीआर के प्रतिनिधि (अधिकारी/परामर्शदाता)
ii.	स्वस्थ पंचायत	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	i. एम/ओ आयुष विभाग ii. पंचायती राज मंत्रालय iii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी	• विषय से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से नामित अधिकारी। • सदस्य संयोजक के रूप में एमओपीआर के प्रतिनिधि (अधिकारी/परामर्शदाता)
iii.	बाल हितैषी पंचायत	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ii. स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय iii. पंचायती राज मंत्रालय	अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी	• विषय से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से नामित अधिकारी। • सदस्य संयोजक के रूप में एमओपीआर के प्रतिनिधि (अधिकारी/परामर्शदाता)
iv.	जल पर्याप्त पंचायत	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	i. ग्रामीण विकास मंत्रालय ii. पंचायती राज मंत्रालय	अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी	• विषय से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से नामित अधिकारी। • सदस्य संयोजक के रूप में एमओपीआर के प्रतिनिधि (अधिकारी/परामर्शदाता)
v.	स्वच्छ और हरित पंचायत	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ii. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय iii. विद्युत मंत्रालय iv. ग्रामीण विकास विभाग v. पंचायती राज विभाग	अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी	• विषय से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से नामित अधिकारी। • सदस्य संयोजक के रूप में एमओपीआर के प्रतिनिधि (अधिकारी/परामर्शदाता)
vi.	पंचायत में आत्म. निर्भर बुनियादी ढांचा	पंचायती राज मंत्रलय	i. ग्रामीण विकास विभाग ii. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय iii. दूरसंचार विभाग	अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी	• विषय से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से नामित अधिकारी। • सदस्य संयोजक के रूप में एमओपीआर के प्रतिनिधि (अधिकारी/परामर्शदाता)
vii.	सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलय	i. ग्रामीण विकास मंत्रालय ii. पंचायती राज मंत्रालय	अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी	• विषय से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से नामित अधिकारी। • सदस्य संयोजक के रूप में एमओपीआर के प्रतिनिधि (अधिकारी/परामर्शदाता)

क्र.सं.	थीम/विषयगत समिति	केंद्र सरकार नोडल मंत्रालय/ संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए विभाग	केंद्र सरकार संबंधित विषयगत पुरस्कार के लिए संबंधित मंत्रालय/ विभाग	अध्यक्ष	सदस्य
viii.	सुशासन वाली पंचायत	पंचायती राज मंत्रालय	i. ग्रामीण विकास मंत्रालय ii. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी	• विषय से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से नामित अधिकारी। • सदस्य संयोजक के रूप में एमओपीआर के प्रतिनिधि (अधिकारी/परामर्शदाता)
ix.	महिला हितैषी पंचायत (जिसे पहले गांव में लैंगिक समानता का विकास कहा जाता था)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ii. ग्रामीण विकास मंत्रालय iii. एम/ओ आयुष विभाग iv. स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय v. पंचायती राज मंत्रालय	अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी	• विषय से संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से नामित अधिकारी। • सदस्य संयोजक के रूप में एमओपीआर के प्रतिनिधि (अधिकारी/परामर्शदाता)

8.2 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए चयन मानदंडः

8.2.1 प्रत्येक विषय के तहत एसपीपीएसी / यूपीपीएसी द्वारा नामित जीपी में से, एनपीपीएसी 9 विषयों में से प्रत्येक संबंधित मनोनीत जीपी के लिए प्रश्नावली, सहायक दस्तावेजों और वीडियो फिल्मों के आधार पर शीर्ष 3 रैंकिंग जीपी / समान स्तर के स्थानीय निकायों का आकलन, जांच और चयन करेगा।

8.2.2 समान अंकों वाले मामलों का समाधानः संबद्ध मामलों के समाधान के लिए संबंधित समितियां निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेंगीः

i. यदि प्रथम रैंक के लिए 2 जीपी के बीच टाई है, तो दोनों की फील्ड विजिट के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, इन्हें पहली और दूसरी रैंक दी जाएगी।

ii. यदि दूसरी रैंक के लिए 2 जीपी के बीच टाई है, तो दोनों की फील्ड विजिट के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, इन्हें दूसरा और तीसरा स्थान दिया जाएगा।

iii. यदि तीसरे रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच टाई है, तो दोनों की जांच फील्ड विजिट के माध्यम से की जाएगी और तदनुसार, तीसरी रैंक के लिए जीपी का चयन किया जाएगा।

iv. यदि फील्ड विजिट के बाद भी तीसरी रैंक के लिए 2 ग्राम पंचायतों के बीच बराबरी है, तो दोनों पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं के रूप में तीसरा स्थान माना जाएगा।

v. यदि समान अंक वाले 3 या अधिक शीर्ष रैंकिंग वाले जीपी हैं, तो उन सभी की फील्ड विजिट के माध्यम से जांच की जाएगी और तदनुसार, रैंक 1, 2 और 3 के लिए जीपी का चयन किया जाएगा।

8.2.3 प्रत्येक विषय के लिए एनपीपीएसी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए प्रत्येक विषय के तहत राष्ट्रीय स्क्रीनिंग समिति (नीचे पैरा 9 के साथ पढ़ें) को शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायतों का चयन और सिफारिश करेगा।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए शीर्ष 3 रैंकिंग ग्राम पंचायतों की सिफारिश के लिए राष्ट्रीय पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति (एनपीपीएसी) का प्रारूप

(पुरस्कारः दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार)

***

घोषणा

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन समिति (एनपीपीएसी) द्वारा विषय (विषय/विषयक पुरस्कार) के तहत निम्नलिखित तीन शीर्ष क्रम वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) को उचित परिश्रम/सत्यापन के बाद राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए सर्वसम्मति से अनुशंसित किया जाता है।

पद/रैंक	ग्राम पंचायत का नाम (पदानुक्रम के साथ)	प्राप्तांक	विषय के तहत प्रमुख उपलब्धि
1			
2			
3			

2. घोषणा के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

i. प्रत्येक विषय के तहत प्रत्येक जीपी की भरी हुई प्रश्नावली

ii. सहायक दस्तावेजों के साथ प्रत्येक विषय के तहत जीपी की फील्ड सत्यापन रिपोर्ट

(एनपीपीएसी सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर)

दिनांकः

9. डीडीयूपीएसपीः राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं का चयन (जीपी)

9.1 एमओपीआर में गठित एक राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी (एनएससी) समग्र रूप से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को अंतिम रूप देगी।

9.1.2 एनएससी की संरचनाः

i. अध्यक्षः अपर सचिव, एमओपीआर

ii. सदस्यः

- सभी डिवीजन प्रमुख, उप सचिव/निदेशक (राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों से संबंधित) और निदेशक, एकीकृत वित्त प्रभाग।
- प्रत्येक नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा नामित 2 विशेषज्ञ
- संयुक्त सचिव स्तर के नीति आयोग के प्रतिनिधि

iii. सदस्य संयोजकः अवर सचिव/उप सचिव (राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों से संबंधित)

9.2 डीडीयूपीएसपीः राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पाने वाली जीपी का चयनः

9.2.1 विषयगत पुरस्कार (जीपी): एनएससी 9 विषयों में से प्रत्येक के लिए एनपीपीएसी की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक विषय के तहत राष्ट्रीय पंचायत के शीर्ष 3 रैंकिंग जीपी का चयन करेगा। इन ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेता घोषित किया जाएगा और उन्हें पुरस्कार और वित्तीय प्रोत्साहन से सम्मानित किया जाएगा।

10 डीडीयूपीएसवीपी: पुरस्कार पाने वाली ब्लॉक पंचायत का चयन

10.1 जिला स्तरीय पुरस्कार:

प्रत्येक 9 विषयों के लिए डीपीपीएसी निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर जिला स्तरीय पुरस्कार विजेता के रूप में शीर्ष 3 रैंकिंग वाले ब्लॉक पंचायतो का चयन करेगा:

(i) उस विशेष विषय के तहत अपने सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के औसत स्कोर के आधार पर 80% (पुरस्कार पोर्टल के अनुसार स्वचालित / स्वतः सृजित)।

(ii) निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार ब्लॉक पंचायत के स्वयं के कार्य–निष्पादन का 20%

(क) संबंधित ब्लॉक पंचायत विकास योजना को वर्ष 2023–24 के लिए अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना और अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए गए संबंधित एलएसडीजी विषयों के तहत किए गए कार्यों को दर्शाया जाना।

(ख) ब्लॉक पंचायत के संसाधनों का कम से कम 50% (उदाहरण के लिए, राजस्व के अपने स्रोत, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान और ऐसे अन्य स्रोत) संबंधित विषयों जिनमें अधिकांश पंचायतों ने संकल्प लिया है और शेष अन्य एलएसडीजी विषयों पर निधि के 50% का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जानाद्य इसके अलावा ब्लॉक पंचायत स्वयं के फंड के 20% का नियोजन एवं व्यय अनिवार्य रूप से हरित परियोजनाओं अर्थात जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, कार्बन तटस्थ परियोजनाओं आदि पर किया जाना।

10.2 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कार

एसपीपीएसी/यूपीपीपीएसी प्रत्येक 9 विषयों के लिए उपरोक्त पैरा 10.1 में बताए गए मानदंडों के आधार पर जिला स्तरीय पुरस्कार विजेता ब्लॉक पंचायतों में से शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय ब्लॉक पंचायतों का चयन करेगा।

10.3 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार

एनएससी उपरोक्त पैरा 10.1 में बताए गए मानदंडों के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के ब्लॉक पंचायतों में से शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता ब्लॉक पंचायतों का चयन करेगा।

11 डीडीयूपीएसवीपी: पुरस्कार प्राप्तकर्ता डीपी का चयन

11.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कार

एसपीपीएसी/यूपीपीएसी प्रत्येक 9 विषयों के लिए निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रस्तर के पुरस्कार विजेता के रूप में शीर्ष 3 रैंकिंग वाले जिला पंचायतों का चयन करेगा:

(i) उस विशेष विषय के तहत अपने सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के औसत स्कोर के आधार पर 80% (पुरस्कार पोर्टल के अनुसार स्वचालित / स्वतः सृजित)।

(ii) निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार ब्लॉक पंचायत के स्वयं के कार्य–निष्पादन का 20%

क. संबंधित ब्लॉक पंचायत विकास योजना को वर्ष 2023–24 के लिए अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना और अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए गए संबंधित एलएसडीजी विषयों के तहत किए गए कार्यों को दर्शाया जाना।

ख. ब्लॉक पंचायत के संसाधनों का कम से कम 50% (उदाहरण के लिए, राजस्व के अपने स्रोत, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान और ऐसे अन्य स्रोत) संबंधित विषयों जिनमें अधिकांश पंचायतों ने संकल्प लिया है और शेष अन्य एलएसडीजी विषयों पर निधि के 50% का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना। इसके अलावा ब्लॉक पंचायत स्वयं के फंड के 20% का नियोजन एवं व्यय अनिवार्य रूप से हरित परियोजनाओं अर्थात जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, कार्बन तटस्थ परियोजनाओं आदि पर किया जाना।

11.2 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार

एनएससी उपरोक्त पैरा 11.1 में बताए गए मानदंडों के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कार प्राप्त जिला पंचायतों में से शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता जिला पंचायतों का चयन करेगा।

12. नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (जीपी, बीपी और डीपी के लिए)

12.1 **सर्वश्रेष्ठ 3 जीपी:** 9 विषयों में से प्रत्येक के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए चुने गए कुल जीपी में से, एनएससी संयुक्त रूप से सभी 9 विषयों के तहत उच्चतम कुल/औसत स्कोर वाले शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ जीपी का चयन करेगा (पुरस्कार पोर्टल के अनुसार स्वचालित रूप से/स्वयं उत्पन्न)

12.2 **सर्वश्रेष्ठ 3 ब्लॉक पंचायत:** प्रत्येक 9 विषयों के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए चुने गए कुल ब्लॉक पंचायतों में से एनएससी उपरोक्त पैरा 10.1 में बताए गए मानदंडों के आधार पर शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायतों का चयन करेगा।

12.3 **सर्वश्रेष्ठ 3 जिला पंचायत:** प्रत्येक 9 विषयों के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए चुने गए कुल जिला पंचायतोंमें से एनएससी उपरोक्त पैरा 11.1 में बताए गए मानदंडों के आधार पर शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायतों का चयन करेगा।

13 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं का चयन (विशेष श्रेणी पुरस्कार)

13.1 पुरस्कारों की विशेष श्रेणियों नामतः **ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार** के लिए नामांकन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एमओपीआर को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे बाद में एमओपीआर द्वारा संबंधित लाइन मंत्रालय को तदनुसार शीर्ष 3 पुरस्कार विजेता जीपी चयन और उन्हें पुरस्कृत करना के लिए अग्रेषित किया जाएगा। संबंधित मंत्रालयों द्वारा मूल्यांकन मानदंड तैयार किए जाएंगे और तदनुसार पुरस्कारों के लिए उनके द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा।

13.2 **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार:** एक जीपी जो बाद के वर्षों से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त करता है और शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसे भी व्यक्तिगत विषयगत पुरस्कार के बजाय यह पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि, इसमें प्रमाणपत्र/पट्टिकाएं और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल होंगे। यह पुरस्कार, पुरस्कार वर्ष 2025 यानि मूल्यांकन वर्ष (2023–24) से प्रभावी रूप से पेश किया जा सकता है।

13.3 पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार: यह पुरस्कार देश भर के 3 संस्थानों को दिया जाएगा जिन्होंने एलएसडीजी प्राप्त करने में ग्राम पंचायतों को संस्थागत सहायता प्रदान की है। इस संस्था को उनके प्रयासों के लिए प्रमाण पत्र/पट्टिका के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इस श्रेणी के पुरस्कार के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक नामांकन एमओपीआर को प्रस्तुत किया जा सकता है।

14. पुरस्कार अनुमोदन प्राधिकरण

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले सभी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए अंतिम स्वीकृति प्राधिकारी माननीय पंचायती राज मंत्री होंगे।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के चयन के लिए राष्ट्रीय स्क्रीनिंग समिति (एनएससी) के लिए प्रारूप

***

घोषणा

राष्ट्रीय जांच समिति (एनएससी) एतद्द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए सर्वसम्मति से निम्नलिखित पंचायतों की सिफारिश करती है:

पुरस्कार विजेता	क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी/विषय	प्राप्तांक	टिप्पणियां
ग्राम पंचायतें	1			
	2			
	3....			
ब्लॉक पंचायतें	1			
	2			
	3...			
जिला पंचायतें	1			
	2			
	3...			

(एनएससी सदस्यों का नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक:

15. न्यूनतम योग्यता अंक:

i. व्यक्तिगत विषय के लिए न्यूनतम अर्हक अंक और ग्राम पंचायतों के लिए सभी विषयों पर कुल कार्य निष्पादन 50% होगा।

ii. ब्लॉक/जिला स्तर पर विषयगत या समग्र प्रदर्शन पर पुरस्कार के लिए, योग्यता न्यूनतम पात्र अंक 70% होंगे।

उपरोक्त मानदंड राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों में भाग लेने के लिए है।

तथापि, यदि कोई जीपी/बीपी/डीपी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जीपी/बीपी/डीपी के चयन के मानदंडों में छूट दे सकते हैं और उन्हें उपयुक्त तरीके से सम्मानित कर सकते हैं।

16. मूल्यांकन की अवधिः एक वित्तीय वर्ष (मूल्यांकन वर्ष कहा जाता है) के लिए पीआरआई के प्रदर्शन का मूल्यांकन बाद के वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाएगा।

17. अधूरी जानकारी के साथ या निर्धारित समय सीमा के बाद जमा किए गए नामांकन को सभी स्तरों पर सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

18. शिकायत/विवाद

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की घोषणा के बाद एमओपीआर द्वारा पुरस्कारों के संबंध में किसी भी प्रकार के किसी भी विवाद/शिकायत/अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. पुरस्कार विजेताओं की मान्यता और प्रमाणन

19.1 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं के लिएः राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए चयनित जीपी, बीपी और डीपी को वार्षिक परिवर्तन, बजट उपलब्धता, प्रायोजन या समय–समय पर एमओपीआर द्वारा तय किए गए अनुसार प्रमाण पत्र/पट्टिका और वित्तीय प्रोत्साहन/पुरस्कार राशि के साथ मान्यता दी जाएगी। पुरस्कारों की संख्या के संबंध में अस्थायी पुरस्कार राशि नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी जो बजट उपलब्धता के अधीन होगी:

पुरस्कार	प्रतियोगिता का स्तर	पुरस्कार पाने वालों की संख्या	प्रत्येक विषय के लिए संभावित पुरस्कार राशि	टिप्पणियां
ग्राम पंचायतें	राष्ट्रीय	3 (प्रत्येक विषय के लिए)	• पहला: रु.50 लाख • दूसरा: रु.40 लाख • तीसरा: रु.30 लाख कुल = रु. 1.20 करोड़	एमओपीआर/नोडल मंत्रालय/ विभाग द्वारा दिया जाना है
(डीडीयूपीएसवीपी)	राष्ट्रीय	3 (सभी विषयों में से सर्वश्रेष्ठ)	• पहला: रु.1.5 करोड़ • दूसरा: 1.25 करोड़ रुपये • तीसरा: रु.1.00 करोड़ कुल = रु.3.75 करोड़	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाना है
सर्वोत्तम ग्राम पंचायतें	राष्ट्रीय	3 (प्रत्येक विषय के लिए)	• पहला: रु.50 लाख • दूसरा: रु.40 लाख • तीसरा: रु.30 लाख कुल = रु. 1.20 करोड़	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाना है
(एनडीएसपीएसवीपी)	राष्ट्रीय	3 (सभी विषयों में से सर्वश्रेष्ठ)	• पहला: रु.1.00 करोड़ • दूसरा: रु.75 लाख • तीसरा: रु.50 लाख कुल = 2.25 करोड़ रुपये	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाना है
ब्लॉक पंचायत	राष्ट्रीय	3 (प्रत्येक विषय के लिए)	• पहला: 1.50 करोड़ रुपये • दूसरा: 1.25 करोड़ रुपये • तीसरा: रु.1.00 करोड़ कुल = रु.3.75 करोड़	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाना है
(डीडीयूपीएसवीपी)	राष्ट्रीय	3 (सभी विषयों में से सर्वश्रेष्ठ)	• पहला: रु.5.00 करोड़ • दूसरा: रु.3.00 करोड़ • तीसरा: रु.2.00 करोड़ कुल = रु. 10.00 करोड़	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाना है
सभी 9 विषयों के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए कुल पुरस्कार राशि			(i) 27 ग्राम पंचायतें (विषयक): 1.20 करोड़ रु. '9 विषय = रु. 10.80 करोड़ रुपए (ii) 3 सर्वश्रेष्ठ जीपी (सभी विषय) = रु.3.75 करोड़ रुपए (iii) 27 बीपी (विषयक): 1.20 करोड़ रूपए '9 विषय =10.80 करोड़ रुपए (iv) 3 सर्वश्रेष्ठ बीपी (सभी विषय) = 2.25 करोड़ रुपये (v) 27 डीपी (विषयक): 3.75 करोड़ रु. '9 विषय = रु. 33.75 करोड़ रुपए (vi) 3 सर्वश्रेष्ठ डीपी (सभी विषय) = रु.10.00 करोड़ रुपए कुल : 71.35 करोड़ रुपए	

19.2 राज्य/जिला ब्लॉक स्तर के पुरस्कार विजेताओं के लिए: पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ब्लॉक, जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर शीर्ष रैंकिंग वाली पंचायतों को प्लाक/प्रमाणपत्र और/या वित्तीय प्रोत्साहन के साथ सम्मानित कर सकते हैं। इस मद में होने वाला व्यय राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के प्रशासन द्वारा अपने संसाधनों के पूल से वहन किया जाएगा। इन पुरस्कारों को उद्योग/ट्रस्ट/फाउंडेशन द्वारा भी प्रायोजित किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों/ब्लॉकों द्वारा संबंधित स्तरों पर पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए पट्टिकाओं/राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के प्रमाणपत्रों के डिजाइन को अपनाया/संशोधित किया जा सकता है, हालांकि, संबंधित विषय का 'लोगो' इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये प्लाक/प्रमाणपत्र स्थानीय भाषाओं में भी तैयार किए जा सकते हैं। इन पट्टिकाओं/प्रमाणपत्रों में उपयुक्त स्तरों पर उपलब्धि प्राप्त करने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं।

19.3 पुरस्कार राशि का उपयोग:

पुरस्कार राशि का उपयोग पंचायतों द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से आजीविका सहायता, संपत्ति निर्माण, नागरिक सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाएगा और पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र / राज्य सरकार से प्राप्त धन में अंतराल को पाटने के लिए किया जाएगा। कुछ गतिविधियाँ जिन पर पुरस्कार राशि का उपयोग किया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं:

- विशेष पुरस्कार विषय से संबंधित विकासात्मक गतिविधियाँ
- सूचना, शिक्षा और संचार अभियान
- सामुदायिक बुनियादी ढांचे का विकास,
- लैंगिक हितैषी परिवहन सुविधा
- सीसीटीवी कैमरों की स्थापना
- स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
- सीखने के परिणामों को बढ़ाना – यानी डिजिटल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, डिजिटल क्लास रूम आदि।
- स्वच्छता
- विभिन्न विषयों से संबंधित दिनों का उत्सव (जैसे महिला दिवस, बाल दिवस, पर्यावरण दिवस आदि)
- विशेष विषय–आधारित प्रशिक्षण
- बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं
- विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचा
- अनाज बैंक
- सामुदायिक रसोई
- रोजगार सृजन

यह सूची सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।

तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुरस्कार प्राप्तकर्ता/प्रोत्साहित पंचायतों द्वारा पुरस्कार राशि का उपयोग पंचायत में केवल सार्वजनिक विकासात्मक गतिविधियों के लिए सुनिश्चित करेगा।

20. निधि जारी करना

पुरस्कार विजेता/विजेता पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि/पुरस्कार राशि हर साल 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले पुरस्कार समारोह/राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दौरान या उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सीधे उनके पीएफएमएस मैप किए गए प्रमाणित बैंक खातों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा) में स्थानांतरित की जाएगी।

21. उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी)

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), 2017 के अनुसार एमओपीआर को एक यूसी (जीएफआर 12–सी प्रारूप में) प्रस्तुत करेगा, राज्य सरकार/यूटी प्रशासन द्वारा प्रस्तुत यूसी पर योजना का नियमन करने वाले संभाग के प्रशासनिक सचिव/वित्त सचिव द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित होना चाहिए।

22. पुरस्कार पंचायतों के लिए पट्टिका/प्रमाणपत्र/ट्रॉफियों की डिजाइनिंगः

राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेताओं के लिए प्लाक/प्रमाणपत्र डिजाइन करने के लिए एमओपीआर किसी भी संगठन की सेवाएं ले सकता है/प्राप्त कर सकता है। अन्य बातों के साथ–साथ पट्टिकाओं/प्रमाणपत्रों पर संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग, एमओपीआर और संबंधित विषय के लोगो होंगे।

23. पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदनः

i. **ब्लॉक स्तरीय पुरस्कारः** प्रदर्शन के लिए प्रेरणा के रूप में, ब्लॉक स्तरीय पुरस्कारों के लिए चयनित ग्राम पंचायतों को दिसंबर महीने के दौरान आयोजित एक समारोह में एक प्रमाण पत्र और/या नकद/वस्तु के साथ सम्मानित किया जाएगा (इस स्तर पर पुरस्कार विजेताओं की चयन प्रक्रिया के तुरंत बाद)। समारोह का आयोजन ब्लॉक मुख्यालय में संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य (एमएलए), वरिष्ठ सार्वजनिक पदाधिकारियों, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, सहायक संगठनों आदि की उपस्थिति में किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर प्रशासन की होगी।

ii. **जिला स्तरीय पुरस्कारः** ब्लॉक स्तरीय समारोह के समान, जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए चयनित ग्राम पंचायतों और बीपी को जनवरी माह के दौरान आयोजित एक समारोह में प्रमाण पत्र और/या नकद/वस्तु के साथ सम्मानित किया जाएगा (इस स्तर पर पुरस्कार विजेताओं की चयन प्रक्रिया के तुरंत बाद)। समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, सभी प्रखंड प्रमुखों/काउंसिलर, जिला पार्षद, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, वरिष्ठ सार्वजनिक पदाधिकारियों, जिला कलेक्टर, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, सहायक संगठनों आदि की उपस्थिति में किया जाएगा। आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला स्तरीय प्रशासन की होगी।

iii. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कारः** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कार विजेता जीपी, बीपी और डीपी को फरवरी के महीने में आयोजित एक समारोह में (इस स्तर पर पुरस्कार विजेताओं की चयन प्रक्रिया के तुरंत बाद) राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर, अधिमानतः राज्यपाल/मुख्यमंत्री सहित प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी, अग्रिम पंक्ति

के कार्यकर्ता, सहयोगी संगठन आदि की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा। आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के प्रशासन की होगी।

iv. राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार: राष्ट्रीय स्तर की पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल को वार्षिक रूप से मनाया जाता है) के अवसर पर या चुनाव आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मंत्रालय / भारत सरकार द्वारा तय किए गए अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। आमतौर पर इस आयोजन की शोभा माननीय प्रधान मंत्री, केंद्रीय/राज्य मंत्रियों, पुरस्कार विजेता पंचायतों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बढ़ाई जाती है। आमंत्रितों का उचित रूप से एमओपीआर द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

23.1 ब्लाक पंचायत / जिला पंचायत स्तर पर पुरस्कार देने हेतु विचार करने के लिए संबंधित सांसदों/विधायकों को उनके स्थानीय विकास निधि या सांसद/विधायक की सम्मिलित स्थानीय निधियों से सतत विकास लक्ष्यों के तहत गतिविधियों में योगदान करने वाले संबंधित सांसदों/विधायकों को मान्यता/सम्मान दिया जाएगा।

24. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें के लिए प्रशासनिक लागत:

24.1 पंचायती राज मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार संबंधी गतिविधियों के लिए प्रशासनिक खर्च हेतु छोटे राज्यों के लिए 7 लाख रुपये से लेकर बड़े राज्यों के लिए 20 लाख रुपये तक की सहायता करेगा। इस खाते पर होने वाला व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरजीएसए के तहत अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना से वहन किया जा सकता है। यदि योजना को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन ले सकते हैं।

24.2 प्रशासनिक लागत के लिए जारी की गई निधि से, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ऑनलाइन प्रश्नावली भरने की निगरानी के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त करेगा (केवल अल्पकालिक आधार पर और लगभग 4 महीने की अधिकतम अवधि के लिए अर्थात 1 सितंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक)।

25. आईईसी रणनीति: एमओपीआर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के प्रचार के लिए एक प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीति विकसित करेगा। मीडिया प्रभाग, एमओपीआर द्वारा एक संरचित आईईसी अभियान तैयार किया जाएगा। प्रायोजित करने वाले मंत्रालय/विभाग अपने विषयों से संबंधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की सूचना के प्रभावी प्रचार–प्रसार और प्रचार–प्रसार के प्रयासों में भी सहयोग देंगे।

26. गतिविधियों का एक अस्थायी कैलेंडर इस प्रकार होगा:

गतिविधियों का एक अस्थायी कैलेंडर निम्नानुसार होगा:

गतिविधि	संभावित समयरेखा
पुरस्कार गतिविधियों की निगरानी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के नोडल अधिकारी निगरानी समितियों का गठन	अगस्त, 2022 के दूसरे सप्ताह तक
राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार गतिविधियों की निगरानी के लिए अंतर–मंत्रालयी नोडल निगरानी समिति का गठन	15 अगस्त, 2022 से पहले

गतिविधि	संभावित समयरेखा
पुरस्कारों के लिए पंचायती राज मंत्रालय की राष्ट्रीय स्क्रीनिंग समिति का गठन	15 अगस्त, 2022 से पहले
संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए रोड मैप की तैयारी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय राइटशॉप/कार्यशाला	16 से 18 अगस्त, 2022
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिशानिर्देशों का शुभारंभ	16 अगस्त, 2022
संबंधित स्तरों पर विषयवार चयन समितियों का गठन (राष्ट्रीय/राज्य या केंद्र शासित प्रदेश/जिला/ब्लॉक)	19 से 22 अगस्त, 2022
राज्य स्तरीय सलाहकारों द्वारा जिला स्तरीय विषयगत अधिकारियों का उन्मुखीकरण	23 से 30 अगस्त, 2022
जिला स्तरीय विषयगत अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तरीय विषयगत अधिकारियों का उन्मुखीकरण	31 अगस्त से 7 सितंबर, 2022
ग्राम पंचायतों द्वारा भरने के लिए ऑनलाइन प्रश्नावली का उद्घाटन	10 सितंबर, 2022
बीपीपीएसी द्वारा प्रत्येक विषय के तहत ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का चयन	31 अक्टूबर, 2022 तक
ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का पुरस्कार समारोह	नवंबर, 2022
डीपीपीएसी द्वारा प्रत्येक विषय के तहत जिला स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का चयन	16 नवंबर से 16 दिसंबर', 2022
जिला स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का पुरस्कार समारोह	जनवरी, 2023
एसपीपीएसी/यूपीपीएसी द्वारा प्रत्येक विषय के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के पुरस्कार विजेताओं का चयन	1 जनवरी से 31 जनवरी*
जिला स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का पुरस्कार समारोह	फरवरी, 2023
एनपीपीएसी द्वारा प्रत्येक विषय के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं का चयन	15 फरवरी से 15 मार्च*
अनुमोदन प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमोदन के साथ एनएससी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को अंतिम रूप देना	16 मार्च से 31 मार्च के बीच
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की घोषणा	1 अप्रैल तक
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पुरस्कार समारोह	24 अप्रैल, 2023

*समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध के मामले में 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

27. इन पुरस्कारों के लिए सभी स्तरों पर समितियों के लिए एक अलग उपयोगकर्ता नियमावली उपलब्ध होगी।

28. पुरस्कारों की प्रक्रिया की निगरानी के लिए, एनआईसी द्वारा तैयार किए गए इन पुरस्कारों के लिए एक पोर्टल, संदर्भ के लिए एक उपयोगकर्ता पुस्तिका सहित, संबंधित समितियों के लिए उपलब्ध होगा।

29. असाधारण स्थितियों (महामारी की स्थिति, चुनाव या इसी प्रकार के) के कारण, एमओपीआर आवश्यक समझे जाने पर अपने विवेकाधिकार पर समय–सीमा/प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकता है।

30. यदि आवश्यक समझा जाए तो एमओपीआर समय–समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन कर सकता है।

पंचायती राज